पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

माणिक चंद प्रसाद

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

2023 की आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 113

01 सितंबर 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री सुधीर सिंह एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र प्रकाश सिंह)

विचार के लिए मुद्दा

क्या अपीलीय न्यायालय को गवाहों के बयानों में कथित विरोधाभास और जांच संबंधी चूक को देखते हुए, भारतीय दंड विधान की धारा 352, 323, 504, 354 और 307/34 के तहत उत्तरदाताओं को बरी करने के अधीनस्थ न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करना चाहिए?

हेडनोट्स

बरी अपील में अपीलीय समीक्षा का दायरा [अनुच्छेद 8, 14-15 का संदर्भ]: सूरजपाल सिंह (1952 एससीआर 193) और घूरे लाल ((2008) 10 एससीसी 450) के तहत हस्तक्षेप की सीमित गुंजाइश को दोहराया , इस बात पर जोर दिया कि बरी करने के फैसले को केवल "अनिवार्य और पर्याप्त कारणों" के लिए पलटा जा सकता है यदि विचारण न्यायालय का दृष्टिकोण "विकृत" या "पूरी तरह से अस्थिर" हो। - निर्णय गवाह की विश्वसनीयता (आचरण को देखते हुए) के बारे में विचारण न्यायालय का आकलन सम्मान योग्य है, जब तक कि यह स्पष्ट रूप से अनुचित न हो।

धारा 307 भा दं वि हत्या का प्रयास [अनुच्छेद 10-11 का संदर्भ] परशुराम पांडे ((2004) 13 एससीसी 189) ने यह निर्णय दिया कि: (i) किसी हथियार का मात्र गलत फायर होना (गोली का न चलना) धारा 307 के तहत एक्टस रीउस (दोषपूर्ण कार्य) को संतुष्ट नहीं कर सकता है; (ii) साधारण चोटें (5 टांके) और चिकित्सा साक्ष्य (अ.सा. 5) ने हत्या के लिए मेन्स रिआ (आपराधिक मनःस्थिति) को नकार दिया।

भा दं वि की धारा 354: शील भंग करना [अनुच्छेद 12 का संदर्भ]: - जबकि "साड़ी का पल्लू खींचना" (अ. सा. 3 की गवाही) एक अपराध हो सकता है,

अभियोजन पक्ष ऐसा करने में विफल रहा: (i) यह निर्दिष्ट करें कि किस अभियुक्त ने कृत्य किया है; फर्दबयान के अनुसार सामान्य आरोप अपर्याप्त हैं)। गवाहों की विश्वसनीयता [अनुच्छेद 6, 13, 16 का संदर्भ]: - अ.सा. 1-अ.सा. 3 की गवाही में निम्नलिखित के संबंध में भौतिक विरोधाभास: (i) हमलावरों की पहचान; (ii) चोटों की प्रकृति (पैर की चोट का झूठा दावा); (iii) घटनाओं का क्रम (अ.सा. 1 का देर से पहुंचना बनाम प्रत्यक्षदर्शी का दावा)। - सुनील कुमार शंभूदयाल गुप्ता ((2010) 13 एससीसी 657) पर भरोसा करते हुए कहा गया कि बड़ी विसंगतियां साक्ष्य को अविश्वसनीय बनाती हैं। जांच संबंधी चूक [अनुच्छेद 13 का संदर्भ]: - स्वतंत्र गवाहों से पूछताछ न करना (पूर्व दुश्मनी के बावजूद); - जब्त मोबाइल का स्वामित्व स्थापित करने में विफलता (एक्सटेंशन 2); - न्यायालय में प्राथमिकी प्रस्तुत करने में अस्पष्टीकृत देरी। - संविधान के अनुच्छेद 20-21 के तहत निष्पक्ष जांच मानदंडों का पालन न करने की निंदा करने के लिए सिद्धार्थ वशिष्ठ ((2010) 6 एससीसी 1) का हवाला दिया गया।

न्याय दृष्टान्त

सूरजपाल सिंह एवं अन्य बनाम राज्य (1952 एससीआर 193)
घूरे लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2008) 10 एससीसी 450
परशुराम पांडे बनाम बिहार राज्य (2004) 13 एससीसी 189
सुनील कुमार शंभुदयाल गुप्ता बनाम महाराष्ट्र राज्य (2010) 13 एससीसी 657
सिद्धार्थ वशिष्ठ @ मनु शर्मा बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) (2010) 6 एससीसी 1

अधिनियमों की सूची

भारतीय दंड विधान, 1860 (धारा 307, 354, 323, 504, 34)
दंड प्रक्रिया विधान, 1973 (धारा 372)

मुख्य शब्दों की सूची

बरी करने की अपील; भा दं वि की धारा 307; गवाह की विश्वसनीयता; जांच में चूक; शील भंग

प्रकरण से उत्पन्न

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश XXI, पटना (सत्र विचारण संख्या 304/2012) द्वारा दिनांक 17.12.2022 को दिया गया निर्णय, जिसमें जक्कनपुर थाना मामला संख्या 68/2009 में उत्तरदाताओं को बरी कर दिया गया।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता/सूचनाकर्ता की ओर से	:	श्री रविशंकर गांगुली, अधिवक्ता।
राज्य की ओर से	:	श्री दिलीप कुमार सिन्हा, स.लो.अ.
उत्तरदाता 2 और 3 की ओर से	:	श्री बिक्रमदेव सिंह, अधिवक्ता एवं श्री सदानंद पासवान, अधिवक्ता।

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया:- आकांक्षा मालवीय, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2023 का आपराधिक अपील (खं.पी.) सं 113

थाना कांड सं-68 वर्ष-2009 थाना-जक्कनपुर जिला-पटना से उद्भूत

==========

माणिक चंद प्रसाद पिता- स्वर्गीय कीर्ति महतो, निवासी- मुहल्ला- कन्नूलाल रोड, थाना-जक्कनपुर, जिला-पटना

... ... अपीलकर्ता

बनाम-

1. बिहार राज्य
2. विवेक प्रकाश
3. विकास प्रकाश, दोनों के पिता- स्वर्गीय बद्री नारायण गुप्ता और दोनों निवासी- सीता सरन लेन मीठापुर, पोस्ट- जी. पी. ओ., थाना-जक्कनपुर, पटना

... ...उत्तरदाता/गण

==========

उपस्थितिः

अपीलार्थी के लिएः	श्री रविशंकर गांगुली, अधिवक्ता
राज्य के अधिवक्ताः	श्री दिलीप कुमार सिन्हा, स.लो.अ.
उत्तरदाता सं. 2 और 3 के लिए :	श्री बिक्रमदेव सिंह, अधिवक्ता श्री सदानंद पासवान, अधिवक्ता

==========

समक्षः माननीय न्यायमूर्ति श्री सुधीर सिंह

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र प्रकाश सिंह

सी. ए. वी. आदेश

(द्वाराः माननीय न्यायमूर्ति श्री सुधीर सिंह)

6 01-09-2023 दंड प्रक्रिया विधान, 1973 की धारा 372 के अंतर्गत यह अपील जक्कनपुर थाना मामला सं. 68/2009 के सूचक द्वारा श्री राजविजय सिंह, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश XXI, पटना द्वारा सत्र विचारण सं. 304/2012, सीआईएस/सं. 7087/2014 में पारित दिनांक 17.12.2022 के बरी करने के निर्णय के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके द्वारा और जिसके तहत विद्वान विचारण न्यायालय ने उत्तरदाता सं. 2 और 3 को भारतीय दंड विधान ('भा.दं.वि.' के रूप में संदर्भित) की धारा 352, 323, 504, 354, 307/34 के तहत लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया है।

2. वर्तमान आपराधिक अपील में, दिनांक 22.03.2023 के आदेश द्वारा, उत्तरदाता सं. 2 और 3 को दोनों प्रक्रियाओं के तहत नोटिस जारी किए गए थे और विचारण न्यायालय के अभिलेख की मांग की गई थी।

3. दिनांक 22.03.2023 के उपरोक्त आदेश के अनुसरण में, उत्तरदाता सं. 2 और 3 को समय पर दोनों प्रक्रियाओं के तहत नोटिस जारी किए गए थे और उत्तरदाता सं. 2 और 3 की ओर से अधिवक्ता श्री दयानंद पासवान पेश हो रहे हैं। अधीनस्थ अदालत का अभिलेख विद्वान विचारण न्यायालय से पहले ही प्राप्त हो चुका है।

4. अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में यह है कि 28.03.2009 को सुबह 08:40 बजे, आरोपी बद्री नारायण गुप्ता, उसके दो बेटे और अन्य व्यक्तियों के साथ गाली देते हुए सूचक के घर में घुस गए और सूचक और उसके बेटे दीपक को मुक्के और थप्पड़ से पीटना शुरू कर दिया और वे अपने साथ हथियार भी लाए थे लेकिन उनका उपयोग नहीं कर सके। प्राथमिकी के अनुसार, आरोपी व्यक्ति हत्या करने के इरादे से आए थे और

पिस्तौल के बट से मारे और सूचक की पत्नी और बहू के साथ भी दुर्व्यवहार किया। सूचक बेहोश हो गया था और पड़ोसियों के पहुंचने पर आरोपी फूलों का गमला आदि फेंकते हुए भाग गए। इस प्रक्रिया में उनका मोबाइल फोन मौके पर ही छूट गया था। बाद में, सूचक और उसके बेटे को गर्दनीबाग अस्पताल ले जाया गया, जहाँ सूचक को उनके सिर पर पाँच टाँके दिए गए और उनके बेटे के सिर पर चार टाँके लगे। सूचक ने आगे कहा कि 27.03.2009 को दिन के समय लगभग 12:30 बजे, आरोपी व्यक्तियों ने कचरे में आग लगा दी थी, जो सूचक के घर के उत्तरी हिस्से में स्थित परिसर की दीवार के भीतर पड़ा था, जिसके परिणामस्वरूप सूचक के प्लास्टिक के पाइप जल रहे थे। सूचक ने 27.03.2009 को अपराह्न 3:13 बजे जक्कनपुर एस.एच.ओ. को मौखिक रूप से सूचित किया कि अभियुक्त ने सूचक के साथ गाली-गलौच किया है।

5. सूचक के फर्दबयान के आधार पर, 2009 का जक्कनपुर थाना मामला सं 68 दर्ज किया गया था और पुलिस ने जांच के बाद आरोपी व्यक्तियों/उत्तरदाता सं 2 और 3 के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। इसके बाद विद्वान क्षेत्राधिकार दंडाधिकारी द्वारा संज्ञान लिया गया और फिर मामला सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया। उत्तरदाता सं.2 और 3 के खिलाफ आरोप तय किए गए थे, जिस पर उन्होंने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमा चलाने का दावा किया।

6. मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने पांच गवाहों दीपक कुमार (अ.सा. 1), माणिक चंद्र (अ.सा. 2), मृणालिनी रंजन (अ.सा. 3), राम बिलास सिंह (अ.सा. 4) और डॉ. अनुराधा (अ.सा. 5) से पूछताछ की।

अपने मामले के समर्थन में, अभियोजन पक्ष ने प्रदर्श.1 (प्राथमिकी पर माणिक चंद के हस्ताक्षर), प्रदर्श.2 (जब्ती सूची), प्रदर्श.3 और 3/1 (क्रमशः दीपक और माणिक चंद की चोट की रिपोर्ट)। बचाव पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में कोई मौखिक या दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है। इसके बाद उत्तरदाता सं.2 और 3 के बयान दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए और मुकदमे के समापन के बाद, विद्वान विचारण न्यायालय ने उत्तरदाता सं. 2 और 3 को बरी कर दिया।

7. बरी किए जाने की दिनांक 17.12.2022 के आक्षेपित फैसले से व्यथित होने के कारण, सूचक द्वारा तत्काल अपील दायर की गई है।

8. बरी किए जाने के खिलाफ आपराधिक अपील में अपीलीय न्यायालय को जांच करनी होती हैः क्या नीचे दिए गए विद्वान न्यायालय का निष्कर्ष प्रवेश के स्तर पर ही विकृत और प्रथम दृष्टया अवैध है। एक बार जब अपीलीय न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि जिन आधारों पर निर्णय आधारित है, वे विकृत नहीं हैं, तो बरी होने के खिलाफ अपील की गुंजाइश इस तथ्य पर विचार करते हुए सीमित है कि अ. सा. की बेगुनाही के बारे में कानूनी धारणा न्यायालय के निष्कर्ष से और मजबूत होती है। इस समय, **सूरजपाल सिंह एवं अन्य बनाम राज्य, 1952 एससीआर 193** में सूचित मामले में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर विचार करना अनिवार्य है, जिसमें यह देखा गया किः

> *"13..उच्च न्यायालय के पास उन साक्ष्यों की समीक्षा करने की पूरी शक्ति है जिन पर दोषमुक्त करने का आदेश स्थापित किया गया था। लेकिन यह समान रूप से अच्छी तरह से तय किया*

गया है कि अभियुक्त की निर्दोषता की धारणा को विचारण न्यायालय द्वारा उसके बरी किए जाने और विचारण न्यायालय के निष्कर्षों से और अधिक मजबूत किया जाता है, जिन्हें गवाहों को देखने और उनके साक्ष्य को सुनने का लाभ मिला था, केवल बहुत ही ठोस और सम्मोहक कारणों से ही उलट किया जा सकता है।"

घुरेलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में **(2008) 10 एस. सी. सी. 450** में अनुच्छेद सं. 75, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त दृष्टिकोण को दोहराया और कहा,

"विचारण न्यायालय को साक्ष्य देने वाले गवाहों के आचरण को देखने का लाभ है; इसलिए, अपीलीय न्यायालय को विचारण न्यायालय के निर्णयों में हस्तक्षेप करने में धीमी गति से काम लेना चाहिए। विचारण न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के फैसले में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि यह पूरी तरह से विकृत या पूरी तरह से अस्थिर न हो।"

विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के लिए विचार किए गए आधार निम्नानुसार हैंः

(i) चश्मदीद गवाहों, अर्थात् अ.सा. 1, अ.सा. 2 और अ.सा. 3 की गवाही पर भरोसा करना अत्यधिक असुरक्षित है, क्योंकि मौजूद सामग्री विवरणों के संबंध में कई विरोधाभास हैं।

(ii) अभियोजन पक्ष द्वारा किसी भी स्वतंत्र गवाह से पूछताछ नहीं की गई।अभियोजन पक्ष के सभी गवाह संबंधित गवाह हैं और स्वीकार्य रूप से अपीलार्थियों के विरोधी हैं।

(iii) सूचक (अ.सा. 2) के बयान में उसके फर्दबयान (प्रदर्श.1) जिसमें सामान्य और सर्वव्यापी आरोप लगाए गए हैं।

(iv) डॉक्टर (अ.सा. 5) का विशेषज्ञ साक्ष्य घायल व्यक्तियों (अ.सा. 1 और अ.सा. 2) को लगी चोट के संबंध में नेत्र साक्ष्य के विपरीत है और इस मामले के तथ्य और परिस्थितियां इस प्रकार चोटों के संबंध में गवाहों की गवाही को गलत साबित करती हैं।

(v) चिकित्सा रिपोर्ट घायल व्यक्तियों को साधारण चोट का सुझाव देती है लेकिन जिस तरह से चोट लगी है वह अत्यधिक संदिग्ध है।

(vi) जहां तक भा.दं.वि. की धारा 354 के तहत आरोपों का संबंध है, केवल गवाहों का सामान्य बयान कि अश्लील कार्य किया गया था, यह निर्दिष्ट किए बिना पर्याप्त नहीं है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने क्या अभद्र कार्य किया और विशेष रूप से इसे किसने किया।

(vii) जाँच अधिकारी का साक्ष्य अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा उत्पन्न संदेह की छाया को दूर करने में विफल रहा है और

इसके विपरीत विरोधाभासों को सामने लाया है जो स्पष्ट रूप से अ. सा. व्यक्तियों के पक्ष में जाता है।

(viii) जाँच अधिकारी (अ.सा. 4) के बयान में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि जो मोबाइल जब्त किया गया था वह अ. सा. व्यक्तियों का था जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा दावा किया गया था।

9. दोनों पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलों को सुनने के बाद और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री की जांच करने पर, इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए निम्नलिखित मुद्दे उत्पन्न होते हैंः

I. क्या अभियोजन पक्ष ने भा.दं.वि. की धारा 307 के तहत अपराध को सभी उचित संदेह से परे साबित किया है जैसा कि अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आरोप लगाया गया है?

II. क्या अभियोजन पक्ष ने आरोपी को दोषी ठहराने के लिए भा.दं.वि. की धारा 354 के तहत मामला बनाया है?

III. क्या अ. सा. 1, अ. सा. 2 और अ. सा. 3 जैसे चश्मदीद गवाहों के बयान पर उनके साक्ष्य में भौतिक विरोधाभासों के आलोक में भरोसा किया जा सकता है?

IV. क्या अभियोजन पक्ष की ओर से कोई अड़ंगा, यदि कोई हो, वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष के लिए घातक होगा?

10. इससे पहले कि हम पहले मुद्दे के संदर्भ में साक्ष्य की सराहना के लिए खुद को विज्ञापित करें, विधान की धारा 307 में उल्लिखित आवश्यक अवयवों को बताना अनिवार्य है। ***परशुराम पांडे बनाम बिहार राज्य, (2004) 13 एस. सी. सी. 189*** में सूचित, के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद सं 15 में निर्णय निम्नलिखित रूप में देखा गया हैः

> *"15. धारा 307 के तहत अपराध का गठन करने के लिए अपराध के दो तत्व मौजूद होने चाहिएः*
>
> *(ए) हत्या करने का इरादा या ज्ञान; और*
>
> *(बी) इसके लिए कोई कार्य करना।*
>
> *धारा 307 के प्रयोजन के लिए जो सामग्री है वह इरादा या ज्ञान है न कि इरादे को पूरा करने के उद्देश्य से किए गए वास्तविक कार्य का परिणाम। इस धारा में स्पष्ट रूप से एक ऐसे कार्य पर विचार किया गया है जो मृत्यु के इरादे से किया जाता है लेकिन जो मध्यवर्ती परिस्थितियों के कारण इच्छित परिणाम लाने में विफल रहता है। अ. सा. का इरादा या जानकारी ऐसी होनी चाहिए जो हत्या का गठन करने के लिए आवश्यक हो। इरादे या ज्ञान के अभाव में जो धारा 307 का आवश्यक घटक है, "हत्या के प्रयास" का कोई अपराध नहीं हो सकता है। उद्देश्य जो मन की स्थिति है, उसे सटीक प्रत्यक्ष साक्ष्य से साबित नहीं किया जा सकता है, एक तथ्य के रूप में इसका पता केवल अन्य कारकों से लगाया या अनुमान लगाया*

जा सकता है। कुछ प्रासंगिक विचार इस प्रकार हो सकते हैं: इस्तेमाल किए गए हथियार की प्रकृति, वह स्थान जहाँ चोटें पहुँचाई गईं, चोटों की प्रकृति और वे परिस्थितियाँ जिनमें घटना घटी..."

अब, उपरोक्त कानूनी मिसाल के आलोक में, और विधान की धारा 307 की सावधानीपूर्वक जांच के बाद, हम अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का आकलन करेंगे। सूचक (अ.सा. 2) ने अपने बयान में कहा कि आरोपी विवेक प्रकाश ने उस पर गोली चलाई लेकिन गोली नहीं चली। दूसरी ओर, अ.सा. 1 ने अपने बयान में कहा कि आरोपी विकास प्रकाश ने उस पर गोली चलाने का प्रयास किया और आरोपी विवेक प्रकाश ने अ.सा. 2 पर गोली चलाने का प्रयास किया, लेकिन गोलियां नहीं चली।इस प्रकार, अ.सा. 1 और अ.सा. 2 की गवाही में विरोधाभास है। इसके अतिरिक्त, अ.सा. 3 ने अपने बयान में कहा है कि आरोपी विवेक प्रकाश ने अ.सा. 2 पर गोली चलाई थी लेकिन गोली नहीं चली। हालाँकि, इन बयानों की जांच करने पर, हम पाते हैं कि अ.सा. 2 और अ.सा. 3 ने कथित घटना के चश्मदीद होने के बावजूद अपनी गवाही में यह नहीं कहा कि आरोपी विकास प्रकाश ने अ.सा. 1 पर गोली चलाई थी। इसके अलावा, *फर्दबयान* के अवलोकन से (*प्रदर्श 1*), ऐसा प्रतीत होता है कि अ.सा. 2 ने यह निर्दिष्ट नहीं किया कि हमलावरों के पास कौन से हथियार थे और न ही उन्होंने उन हमलावरों के नाम बताए जिन्होंने हथियार चलाने का प्रयास किया था। मुकदमे में अभियोजन पक्ष के गवाहों ने उन अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान करके इन ध्यान देने योग्य कमियों को दूर करने का प्रयास किया जो कथित रूप से गोलीबारी में शामिल थे। ये गंभीर चूक अभियोजन

पक्ष के दावे पर संदेह पैदा करती है। भले ही हम मान लें कि अभियुक्त व्यक्तियों ने पिस्तौल चलाने का प्रयास किया था, लेकिन वास्तव में गोली नहीं चलाई। इस प्रकार, यह गलत गोलीबारी का मामला है। गलत गोलीबारी के मामले में, भा.दं.वि. की धारा 307 लागू नहीं होती है। चित्रण (सी) के संयोजन में भारतीय दंड विधान की धारा 307 के खाली पढ़ने से यह सुरक्षित रूप से प्राप्त किया जा सकता है कि भा.दं.वि. की धारा 307 के प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यक तत्व आग्नेयास्त्र से गोली या गोली जैसे प्रक्षेप्य का वास्तविक निर्वहन है। यदि कोई गोलीबारी नहीं होती है, और जब आरोपी द्वारा आग्नेयास्त्र का उपयोग किया जाता है तो कोई गोली या छर्रा नहीं निकलती है, तो भा.दं.वि. की धारा 307 लागू नहीं की जा सकती है। इस व्याख्या को भा.दं.वि. की धारा 307 के चित्रण (सी) द्वारा प्रबलित किया गया है, जो निम्नानुसार हैः

> "(सी) ए, जेड की हत्या करने का इरादा रखता है, एक बंदूक खरीदता है और उसे लोड करता है। ए ने अभी तक अपराध नहीं किया है। ए , जेड पर बंदूक चलाता है। उसने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है, और यदि इस तरह की गोलीबारी से वह जेड को घायल करता है, तो वह इस धारा के [पहले अनुच्छेद] के उत्तरार्ध भाग द्वारा प्रदान की गई सजा के लिए उत्तरदायी है।"

जहाँ तक शरीर के महत्वपूर्ण भाग पर चोट का संबंध है, अभिलेखों से संकेत मिलता है कि दोनों सूचना देने वाले (अ.सा. 2) और उनके बेटे (अ.सा. 1) को पिस्तौल के बट से उनके सिर पर चोटें आईं। अ.सा. 2 ने

अपनी गवाही में कहा है कि चोट के परिणामस्वरूप वह बेहोश हो गए और केवल अस्पताल में उन्हें होश आया। हालांकि, अ.सा. 5 (डॉक्टर) की गवाही के साथ-साथ चोट की रिपोर्ट की जांच करने पर (प्रदर्श 3 & प्रदर्श 3/1) क्रमशः अ.सा. 1 और अ.सा. 2 में, यह स्पष्ट है कि उन्हें होने वाली चोटें सरल प्रकृति की थीं। प्रदर्श.3 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अ. सा. 1 के पैर पर कोई चोट नहीं पाई गई है। इसके अलावा, अ.सा. 5 ने अपने बयान में अनुच्छेद 8 और 9 में अ.सा. 2 की चोट के बारे में स्पष्ट रूप से कहा है, जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

> *"8. उनके शरीर पर ऐसा कोई चोट नहीं थी, जिससे वह बेहोश हो सकते थे।*
>
> *9. दो नंबर चोट त्वचा तक गहरी है, उससे बेहोश होना संभव नहीं है।*

इस प्रकार, इन तथ्यों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यदि आरोपी व्यक्तियों का इरादा अ.सा. 1 और अ.सा. 2 की हत्या करना होता, तो वे उन्हें और भी गंभीर चोटें पहुँचा सकते थे जो मृत्यु का कारण बन सकती थीं। इसके अलावा, जैसा कि अ.सा. 5 के साक्ष्य से स्पष्ट है, उसने ज़ोर देकर कहा है कि अ.सा. 2 को लगी चोट की प्रकृति बेहोशी लाने के लिए भी पर्याप्त नहीं थी। इसलिए, यह मानना पूरी तरह से गलत होगा कि आरोपी व्यक्तियों का अपीलकर्ता की मृत्यु का कारण बनने का दोषपूर्ण इरादा था।

इसलिए, मामले के तथ्यात्मक स्वरूप के आलोक में और ऊपर चर्चा की गई कानूनी स्थिति पर विचार करते हुए, मुद्दा सं. 1 **नकारात्मक** रूप से तय किया जाता है।

11. दूसरे मुद्दे के संदर्भ में, हमने अ. सा. 1, अ. सा. 2, अ. सा. 3 और अ. सा. 4 (आई.ओ.) के साक्ष्यों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। हम पाते हैं कि अ. सा. 3 ने अपने बयान में कहा है कि आरोपियों ने उसकी *साड़ी* का *पल्लू* खींचा और उसके साथ अभद्र व्यवहार किया और उसे ज़मीन पर पटक दिया। इसमें कोई विवाद नहीं है कि "*साड़ी का पल्लू खींचना*" भारतीय दंड विधान की धारा 354 के तहत महिला की शील भंग करने वाला कृत्य माना जा सकता है, हालाँकि, यह दर्शाया जाना चाहिए कि हमला महिला की शील भंग करने के इरादे से किया गया था या यह जानते हुए किया गया था कि ऐसा होने की संभावना है। इरादा और ज्ञान स्वाभाविक रूप से मन की अवस्थाएँ हैं, लेकिन फिर भी वे तथ्यात्मक तत्व हैं जिन्हें स्थापित किया जा सकता है। हालाँकि, इन्हें सीधे तौर पर सिद्ध नहीं किया जा सकता; बल्कि, इन्हें प्रत्येक मामले की विशिष्ट परिस्थितियों से अनुमान लगाया जाना चाहिए। यदि कोई झगड़ा अचानक होता है, तो यह यथोचित रूप से निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि इन विवादित पक्षों के बीच हुई हाथापाई के दौरान, अभियुक्तों का या तो यह इरादा था या उन्हें पता था कि वे किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाएँगे। इसके अलावा, अ. सा. 3 के बयान और अ. सा. 1 और अ. सा. 2 के बयानों की जाँच करने पर यह स्पष्ट होता है कि अ. सा. 3 और देववंती देवी (अ. सा. 2 की पत्नी) के साथ कथित रूप से किस अ. सा. ने अभद्र कृत्य किया, यह न तो फर्दबयान में और न ही बयानों में बताया गया है। इसके अलावा, यह

भी उल्लेखनीय है कि किसी भी प्रत्यक्षदर्शी ने यह नहीं बताया कि किस प्रकार का अभद्र कृत्य किया गया। अ. सा. 3 को छोड़कर, किसी अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने यह नहीं बताया कि अभियुक्तों ने उसे फर्श पर पटका। इसके अलावा, अ. सा. 4 (आई.ओ.) ने अपने बयान के अनुच्छेद 26 में स्पष्ट रूप से कहा है, जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

> *"26.सूचक के द्वारा दिए गए अपने पुनःबयान मे किसी भी अभियुक्त का नाम लेकर के उस पर विशिष्ट अपराध कारित करने का आरोप नहीं लगाया गया है।साक्षी दिपक ने भी पुलिस के समक्ष दिए गए अपने बयान मे किसी भी अभियुक्त पर उसका नाम ले कर विशिष्ट अपराध कार्य करने का आरोप नहीं लगाया है ,अन्य साक्षियों ने भी पुलिस के समक्ष दिए गए अपने बयान मे किसी भी अभियुक्त का नाम ले कर उस पर विशिष्ट अपराध कार्य करने का आरोप नहीं लगाया है।"*

इस प्रकार, अ.सा. 4 की गवाही से यह स्पष्ट है कि गवाहों द्वारा दिए गए बयानों में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई विशिष्ट अपराध करने का कोई आरोप नहीं लगाया गया है। इसलिए, हम विद्वान विचारण न्यायालय के इस निष्कर्ष से सहमत हैं कि केवल गवाहों का सामान्य बयान कि अभद्र कार्य किया गया था, भा.दं.वि. की धारा 354 को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

इस प्रकार, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, मुद्दा नं II को **नकारात्मक** में तय किया जाता है।

12. तीसरे मुद्दे से निपटने के लिए, अ. सा. 1, अ. सा. 2 और अ. सा. 3 के प्रत्यक्ष साक्ष्यों की जाँच आवश्यक है। अ. सा. 1 ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा कि जब उसने अपने पिता (अ. सा. 2) को बचाने के लिए हस्तक्षेप किया, तो आरोपी विकास प्रकाश ने उसके सिर पर पिस्तौल के बट से वार किया, जिससे वह घायल हो गया। अ. सा. 1 की गवाही के विपरीत, अ. सा. 2 (सूचक) ने यह बयान दिया है कि आरोपी विवेक प्रकाश ने उस पर और अ. सा. 1 पर पिस्तौल के बट से हमला किया। इसके अतिरिक्त, अ. सा. 3 ने यह बयान दिया कि आरोपी विवेक प्रकाश ने अ. सा. 2 के सिर पर पिस्तौल के बट से हमला किया, जबकि आरोपी विकास प्रकाश ने उसके पति (अ. सा. 1) के सिर पर पिस्तौल के बट से हमला किया। हालाँकि, फ़र्दबयान के अवलोकन से यह पाया जाता है कि आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध हमले का सामान्य और सर्वव्यापी आरोप लगाया गया है। मुकदमे के दौरान ही अभियोजन पक्ष के गवाहों ने उन आरोपियों के नामों का खुलासा किया जिन्होंने कथित तौर पर हमला किया था। इसके अलावा, यह पाया गया है कि अ. सा. 1 ने अपने बयान के अनुच्छेद सं 21 में स्पष्ट रूप से कहा है कि जब वह चीख-पुकार सुनकर घटनास्थल पर पहुँचा, तब तक आरोपी भाग चुके थे। इस प्रकार, अ. सा. 1 के सिर और पैर में चोट लगने और हमलावरों द्वारा अ. सा. 2 पर हमला करने और उसकी माँ और पत्नी (अ. सा. 2) के साथ अभद्र और शर्मनाक कृत्य करते देखने के दावे वर्णित परिस्थितियों से बिल्कुल मेल नहीं खाते। उल्लेखनीय रूप से, अ. सा. 1 की चोट रिपोर्ट (प्रदर्श 3) भी पैर में किसी चोट का संकेत नहीं देती। ये विसंगतियाँ स्वाभाविक रूप से इन प्रत्यक्षदर्शियों की समग्र विश्वसनीयता और सत्यता पर संदेह पैदा करती हैं। यह एक

सुस्थापित कानूनी सिद्धांत है कि एक प्रत्यक्षदर्शी की गवाही सुसंगत और बिना किसी महत्वपूर्ण विसंगतियों या विरोधाभासों के होनी चाहिए। यह दृढ़ होनी चाहिए, किसी भी दोष, अस्पष्टता, अनिश्चितता या खामियों से रहित होनी चाहिए। आपराधिक कानून के दायरे में, अस्पष्ट, विरोधाभासी और अपुष्ट बयानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, दोषसिद्धि का आधार बनने से तो बिल्कुल नहीं। इस मोड़ पर, हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***सुनील कुमार शंभूदयाल गुप्ता और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (2010) 13 एससीसी 657*** में सूचित के मामले में दिए गए निर्णय पर लाभप्रद रूप से भरोसा करेंगे, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की थी:

> *"आंखों देखी गवाहों के सबूतों में यदि पाई गई विसंगतियाँ मामूली न हों, तो यह उन सबूतों पर अविश्वास और अविश्वसनीयता का आधार बन सकती हैं। ऐसी परिस्थिति में, यदि सबूत, अन्य सबूतों और पहले दर्ज बयान के साथ विरोधाभासी और टकराव वाले पाए जाएं, तो गवाह विश्वास पैदा नहीं कर सकते। ऐसे मामले में यह नहीं कहा जा सकता कि अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे साबित कर दिया है।"*

मामले के तथ्यात्मक स्वरूप और कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हमारा यह सुविचारित मत है कि भौतिक विसंगतियों के कारण, प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तदनुसार, मुद्दा संख्या III, **नकारात्मक** रूप से तय किया जाता है।

13. अब ऊपर बताए गए चौथे मुद्दे पर विचार करते हुए, इस न्यायालय का ध्यान अभियोजन पक्ष द्वारा स्वतंत्र गवाहों से पूछताछ करने में विफलता की ओर आकर्षित किया गया। अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता के अभियुक्तों के साथ सामंजस्यपूर्ण या सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं थे, जिससे स्वतंत्र गवाहों से पूछताछ महत्वपूर्ण हो गई। जाँच अधिकारी (अ.सा. 4) ने अपने बयान में यह नहीं बताया कि क्या उन्होंने घटना के कुछ ही मिनटों के भीतर वहाँ एकत्रित हुए स्वतंत्र गवाहों के बयान लेने के लिए कानून के तहत निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन किया था। इसके अलावा, यह पाया गया है कि अ.सा. 4 ने अपने बयान के अनुच्छेद सं 16 में स्पष्ट रूप से कहा है कि वह अपीलकर्ता के उक्त घर नहीं गए, जहाँ कथित तौर पर अभियुक्तों द्वारा कचरा फेंका गया था। इसके अलावा, अ.सा. 4 ने अभियुक्तों द्वारा गोलीबारी के प्रयास के आरोप की जाँच करने का कोई प्रयास नहीं किया, न ही उन्होंने इस संबंध में सूचक के पुनः कथन को अपनी केस डायरी में दर्ज किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि जांच अधिकारी ने जब्ती ज्ञापन (प्रदर्श 2) के माध्यम से जब्त किए गए फ़ोन के मालिक का पता लगाने का प्रयास किया था। इस प्रकार, अपीलकर्ता को वर्तमान अपराध से जोड़ने के लिए आवश्यक कारणात्मक कड़ी गायब पाई गई है। इसके अलावा, यह पाया गया है कि प्राथमिकी की प्रति न्यायालय को भेजने में देरी हुई थी और इस प्रकार कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। जांच अधिकारी का ऐसा आचरण, उसकी ओर से की गई लापरवाही के बारे में बहुत कुछ कहता है। जांच करने वाली पुलिस मुख्य रूप से व्यक्तियों की स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में कार्य करती है। आपराधिक जांच को संभालने की ज़िम्मेदारी सौंपे

जाने पर, उन्हें समानता, न्याय, विवेक, तर्कसंगतता, मनमानी न करने, निष्पक्षता जैसे सिद्धांतों के अनुरूप और प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांतों के अनुसार आचरण करना चाहिए। जहाँ जाँच करने वाली पुलिस की ओर से चूक इतनी गंभीर हो कि वह आपराधिक प्रक्रिया के स्थापित सिद्धांतों की घोर अवहेलना करते हुए गैर-ज़िम्मेदाराना रवैये को दर्शाती हो, उसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) (2010) 6 एससीसी 1 में सूचित के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि:

> "भारत में आपराधिक न्याय प्रशासन प्रणाली मानवाधिकारों और मानव जीवन की गरिमा को बहुत उच्च स्तर पर रखती है। हमारे न्यायशास्त्र में एक अ. सा. को दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाता है, कथित अ. सा. निष्पक्षता और सच्ची जांच और निष्पक्ष सुनवाई का हकदार है और अभियोजन पक्ष से अपराध के मुकदमे में संतुलित भूमिका निभाने की उम्मीद की जाती है। कानून के मूल नियम का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जांच विवेकपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी और त्वरित होनी चाहिए। ये हमारे आपराधिक न्यायशास्त्र के मौलिक सिद्धांत हैं और ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 में निहित संवैधानिक जनादेश के अनुरूप हैं।"

तदनुसार, मुद्दा सं. IV **सकारात्मक** रूप से तय किया जाता है।

14. इस प्रकार, दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप केवल अनिवार्य और ठोस कारणों से ही किया जाना चाहिए। यदि आदेश स्पष्ट रूप से अनुचित है, तो यह हस्तक्षेप का एक अनिवार्य कारण है। लेकिन जहाँ दोषमुक्ति के आक्षेपित निर्णय के निष्कर्ष में कोई विकृति नहीं है, वहाँ अपीलीय न्यायालय को केवल इसलिए अलग दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए क्योंकि दूसरा दृष्टिकोण संभव है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विचारण न्यायालय को गवाहों के व्यवहार को देखने का विशेषाधिकार प्राप्त है और इसलिए, उसके निर्णय को मजबूत और ठोस आधारों के अभाव में उलटा नहीं किया जाना चाहिए।

15. ऊपर की गई चर्चाओं के आलोक में, हमारी सुविचारित राय है कि विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर एक प्रशंसनीय दृष्टिकोण अपनाया है। विचारण न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को विकृत नहीं माना जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में, आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है।

16. तदनुसार, श्री राजविजय सिंह, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश XXI, पटना द्वारा 2012 के सत्र विचारण सं 304, 2014 के सीआईएस सं 7087 में पारित बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ अपील को स्वीकार करने के चरण में ही खारिज किया जाता है।

(सुधीर सिंह, न्यायमूर्ति)

(चंद्र प्रकाश सिंह, न्यायमूर्ति)

नरेंद्र/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।